कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 456 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 22/08/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– चम्पावत में चार धार परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर – पिथौरागढ़ एन0एच0 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/31090/2017.

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 112 / 2018 / एफ0सी0 / 584 दिनांक 27.07.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 811 / 12–1 दिनांक 11.08.2023 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 811 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 11-8- 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online No-FP/UK /ROAD /31090/ 2017)**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/112/2018/एफ0सी0 /584 दिनांक 27.07.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट की पत्र संख्या 940/चम्पा0बाईपास दिनांक 10.08.2023 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन, जिस पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के द्वारा 4 बिन्दु की आपत्ति लगाई गयी, जिसका अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.स.	आपत्ति	निराकरण
1	As per the DSS analysis, 4.60 ha area of patch no. 3 of the proposed CA area is found overlapping with CA area of online proposal no. FP/UK/ROAD/38399/2019 and FP/UK/ROAD /42256/2019. The state Government is requested to submit clarification in this regard and provide the area for CA having no overlapping.	उक्त परियोजना में क्षतिपूरक रोपण हेतु नये क्षेत्र चयनित कर लिये गये है। नये क्षेत्रों के Map KML File स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्राक्कलन Online Part II Para 13 में अपलोड कर दिये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः– 1–पूर्वी क्रान्तेश्वर क0 सं0 11 अ – 6.0 है0 2–पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0 सं0 22 व 25 – 5.5 है0 3–पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0 सं0 22 व 25 – 7.0 है0 **कुल योग – 18.5 है0**
2	It is seen that three CA area patches are uploaded in online Part-II at para-13, As per the DSS analysis , the area for CA comes to 45.12 ha, 2 ha is found in VDF and 16 ha in MDF, the state government is requested to submit clarification in this regard,	उपरोक्तानुसार चयनित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 18.5 है जो कि हस्तान्तरित की जा रही वन भूमि 8.94 के दोगुने क्षेत्र के अनुरूप है।
3	The detail of compartment number of CA polygons mentioned in state Government letter referred above is not matching with the details of compartment number uploaded in PARIVESH portal. State Government is requested to remove this discrepancy in the details of compartment number of CA area.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित क्षेत्र परिवेश पोर्टल में भी संशोधित कर दिये गये हैं।
4	It is also seen that point No 4 is still not attended in accordance to the discussion held for this case in FRCM on 27/03/2023 which is as follows and required to be attended. 1- The clarification submitted by project Proponent to justify the 24m width of the road was not found to be as per the rules issued by MORTH in its letter dated 23-03-2018 and in the order dated 15.12.2020 regarding the width of the road in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 1– भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के आदेश दिनांकित 15.12.2020 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 3 पर निम्नानुसार उल्लिखित है :– "For roads in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security, the carriageway width should be 7m with 1.5m paved shoulder on either side" चम्पावत बाईपास हेतु डी0पी0आर0 में उपरोक्तानुसार 10 मीटर कैरिजवे का ही प्राविधान किया गया है। IRC : 52- 2019 के Fig 6.3 में Road Land दर्शाया गया है। (प्रति संलग्न), जिसमें स्पष्ट है

	to the Indo-China border or are of strategic importance for national security. 2- Therefore, the State Government was aske to submit necessary document to the effect that the proposed road acts as feeder roads to the Indo-China border or is of strategic importance for national security and also ensure that the width proposed for the taken for the road is in accordance with the above orders.	कि कैरिजवे से अधिक roadway (formation width) होती है एवं उससे अधिक road land होती है। IRC : 52-2019 के Table 6.1 (प्रति संलग्न) के अनुसार National & State Highway double lane हेतु hilly and mountainous terrain में 24 मीटर चौड़ाई में land की आवश्यकता होती है, तद्नुसार ही वन भूमि प्रस्ताव बनाया गया है। 2– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील सं0 10930/2018 के निर्णय दि0 14.12.2021 के बिन्दु सं0 14 पृष्ठ संख्या 14 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टनकपुर – पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एक सामरिक महत्व की सड़क है एवं बिन्दु संख्या 68 पृष्ट संख्या 59 पर उल्लिखित है कि सामरिक महत्व की सड़कों का 2 lane with paved shoulder से कम न बनाया जाये (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है।)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

E-mail :- eenhlohaghat@gmail.com

☎:- 05965-234076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 940/चम्पा0 बाईपास

दिनांक 10/08/2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
प्राप्ति पत्रांक....1497.....
पत्रावली संख्या....12-1.....
दिनांक.....11-8-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :– **जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ एन0,एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सडक परिवहन एंव राजमार्ग मत्रांलय को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/31090/2017)**

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक 686/12–1 दिनांक चम्पावत 04/08/2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8 B/ UCP/06/112/2018 /एफ0सी0/584 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा सूचित किया है कि वन भूमि प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां इंगित की गयी है, जिस पर आख्या निम्न प्रकार है–

क्र0	आपत्ति	निराकरण
1	As per the DSS analysis, 4.60 ha area of patch no. 3 of the proposed CA area is found overlapping with CA area of online proposal no. FP/UK/ROAD/38399/2019 and FP/UK/ROAD/42256/2019. The state Government is requested to submit clarification in this regard and provide the area for CA having no overlapping.	यह बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
2	It is seen that three CA area patches are uploaded in online Part – II at para – 13, As per the DSS analysis, the area for CA comes to 45.12 ha instead of proposed 17.88 ha and out of 45.12 ha, 2 ha is found in VDF and 16 ha in MDF, the state government is requested to submit clarification in this regard,	यह बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
3	The detail of compartment number of CA polygons mentioned in state Government letter referred above is not matching with the details of compartment number uploaded in PARIVESH portal. State Government is requested to remove this discrepancy in the details of compartment number of CA area.	यह बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
4	It is also seen that point No 4 is still not attended in accordance to the discussion held for this case in FRCM on 27/03/2023 which is as follows and required to be attended. 1- The clarification submitted by Project Proponent to justify the 24m width of the road was not found to be as per the rules issued by MORTH in its letter dated 23.03.2018 and in the order dated 15.12.2020 regarding the width of the road in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security	1.भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मन्त्रालय के आदेश दिनांकित 15.12.2020 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 3 पर निम्नानुसार उल्लिखित है – "For roads in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security, the carriageway width should be 7m with 1.5m paved shoulder on either side." चम्पावत बाईपास हेतु डी0पी0आर0 में उपरोक्तानुसार 10 मीटर कैरिजवे का ही प्राविधान किया गया है। IRC : 52-2019 के Fig 6.3 में Road Land दर्शाया गया है (प्रति संलग्न), जिसमें स्पष्ट है कि कैरिजवे से अधिक roadway (formation width) होती है एवं उससे अधिक road land

	2- Therefore, the State Government was asked to submit necessary document to the effect that the proposed road acts as feeder roads to the Indo-China border or is of strategic importance for national security and also ensure that the width proposed for the taken for the road is in accordance with the above orders.	lane हेतु hilly and mountainous terrain में 24 मीटर चौडाई में land की आवश्यकता होती है, तद्नुसार ही वनभूमि प्रस्ताव बनाया गया है। 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील सं0 10930/2018 के निर्णय दि0 14.12.2021 के बिन्दु सं0 14 पृष्ठ संख्या 14 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टनकपुर – पिथौरागढ राष्ट्रीय राजमार्ग एक सामरिक महत्व की सडक हैएवं बिन्दु संख्या 68 पृष्ट संख्या 59 पर उल्लिखित है कि सामरिक महत्व की सडकों को 2 lane with paved shoulder से कम न बनाया जाये (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है)।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख एंव नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट

पत्रांक दिनांक /08/2023

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता–क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून 46/1 कैनाल रोड जाखन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8B/ UCP/06/112/2018 /एफ0सी0/584 दिनांक 27.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. सहायक अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 लोहाघाट को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट